

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर

राजस्व वाद संख्या : 03/2019

वादीगण

प्रतिवादीगण

शोभा शर्मा

बनाम

प्रभूराम वगैरा

किस्म मुकदमा— रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही नय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.02.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। हनने वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विस्तार से सुना गया तथा राजस्व वाद संख्या 03/2017 अनवान शोभा शर्मा बनाम प्रभूराम वगैरा निर्णय दिनांक 12.09.2018 जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था। जिसे प्रार्थी मनसुख कराकर पुनः राजस्व वाद को गुणावगुण पर निर्णय करवाना चाहते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मूल वाद पुनः बराबद किया जाकर दर्ज रजिस्टर किया जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.